

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(2) (1230-P-2)/रा.छा./सा.न्या. एवं अ.वि./26

दिनांक: 14.10.2026

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

शैक्षणिक सत्र	पोर्टल प्रारंभ तिथि	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	मासिक अनुदान राशि
2026-27	15.10.2026	30.11.2026	₹2,000/- प्रतिमाह

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय B.A., B.Sc., B.Com.) एवं स्नातकोत्तर (M.A., M.Sc., M.Com.) राजकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र, जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराए पर लेकर (पेइंग गेस्ट के रूप में) रहते हैं, उन्हें आवास, भोजन व बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में यह वाउचर प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ प्रतिवर्ष अधिकतम 10 माह के लिए एवं 5 वर्ष तक देय होगा।

लाभार्थी अभ्यर्थियों की श्रेणीवार निर्धारित संख्या (कुल: 5000)

वर्ग / श्रेणी (Category)	लाभार्थी छात्र संख्या
अनुसूचित जाति (SC)	1500
अनुसूचित जनजाति (ST)	1500
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	750
अति पिछड़ा वर्ग (MBC)	750
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	500

वार्षिक आय सीमा एवं पात्रता शर्तें

आय सीमा (माता-पिता / अभिभावक):

- SC, ST एवं MBC वर्ग हेतु: अधिकतम ₹2.50 लाख
- OBC वर्ग हेतु: अधिकतम ₹1.50 लाख
- EWS वर्ग हेतु: अधिकतम ₹1.00 लाख

अन्य प्रमुख पात्रताएं:

- पाठ्यक्रम एवं कक्षाएं: जिला स्तरीय राजकीय महाविद्यालयों में नियमित शैक्षणिक पाठ्यक्रम स्नातक (UG: B.A., B.Sc., B.Com.) एवं स्नातकोत्तर (PG: M.A., M.Sc., M.Com.)।
- आवास स्थिति: छात्र पेइंग गेस्ट (PG) / किराए के मकान में रहकर अध्ययनरत हो। स्वयं के मकान में रहने वाले या सरकारी छात्रावास में रहने वाले छात्र पात्र नहीं होंगे।
- अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज (Upload Documents)

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
- स्व-घोषित आय प्रमाण-पत्र की प्रति।
- अभ्यर्थी के जनआधार कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति।
- बैंक खाता विवरण (बैंक नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, शाखा नाम)।
- राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र।
- स्व-प्रमाणित किराए के मकान का प्रमाण-पत्र / किराए की रसीद।

आवेदन प्रक्रिया एवं पोर्टल जानकारी

- इच्छुक छात्र ई-मित्र (E-Mitra) अथवा स्वयं की SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन पोर्टल: sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन कर SJMS SMS आइकॉन पर क्लिक कर डीबीटी वाउचर योजना के आइकॉन से क्लिक कर आवेदन करें।
- विस्तृत दिशा-निर्देश एवं नियम विभाग की वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।
- राशि का सीधे छात्र के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

DIPR/C/17792/26

(ललित कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव